न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

बंटवारा वाद सं0–24/2023

बासदेव महतो.....वादी

बनाम

सुरसाती देवी एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
29.01.2026	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। वादी की तरफ से एक आवेदन दिनांक 17.01.2026 अंदर आदेश 22 नियम 04 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत दाखिल किया गया, जो आज दिनांक 29.01.2026 को आदेश हेतु नियत है। वादी के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी सं0–10 मरची देवी की मृत्यु दिनांक 04.11.2025 को हो गयी है। प्रतिवादी सं0–10 अपने पीछे तीन पुत्र सुभाष महतो, उमेश महतो, विन्देश्वरी महतो तथा तीन पुत्री श्रृंगारो देवी, सोना देवी तथा उमरावती देवी को छोड़कर स्वर्गवास कर गई। प्रतिवादी सं0–19 बलिराम महतो भी दिनांक 23.12.2025 को अपनी विधवा मु0 राजमती देवी और दो पुत्र बृजकिशोर कुशवाहा तथा धनंजय कुशवाहा एवं चार लड़की मु0 सीता देवी, माला देवी, गायत्री देवी तथा लाली देवी को छोड़कर स्वर्गवास कर गए। लिहाजा प्रतिवादी सं0–10 मु0 मरची देवी वो प्रतिवादी सं0–19 बलिराम महतो का नाम मुदालह खाने से काटकर हटाते हुए उसके स्थान पर उपरोक्त वारिसान को पक्षकार बना देना जरूरी है। प्रस्तावित प्रतिस्थापना औपचारिक है तथा परिसीमा अवधि के अंदर है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रतिवादी सं0–10 एवं प्रतिवादी सं0–19 का नाम वादपत्र के मुदालह खाने से काटकर उसके स्थान पर उनके वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करने की कृपा प्रदान करें। प्रतिवादीगण की ओर से वादी के आवेदन का कोई प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया लेकिन मौखिक विरोध किया गया एवं आवेदन खारिज योग्य बताया गया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वादी ने एक आवेदन दिनांक 17.01.	

<u>न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज</u>

बंटवारा वाद सं0–24/2023

बासदेव महतो.....वादी

बनाम

सुरसाती देवी एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 29.01.2026	2026 को अंदर आदेश 22 नियम 04 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत दाखिल किया तथा निवेदन किया है कि प्रतिवादी सं0–10 एवं प्रतिवादी सं0–19 का नाम वादपत्र के मुदालह खाने से काटकर उसके स्थान पर उनके वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करने का आदेश दिया जाए। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वादी का आवेदन न्यायसंगत है और समय–सीमा के अंदर है तथा इससे वाद की प्रकृति पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ता है। अतः न्यायहीत में वादी का आवेदन दिनांक 17.01.2026 को स्वीकार किया जाता है और वादी को निर्देश दिया जाता है कि समय–सीमा के अंदर वाद पत्र से मृत प्रतिवादी सं0–10 मरची देवी तथा प्रतिवादी सं0–19 बलिराम महतो का नाम वाद पत्र से कलमजद करते हुए उनके विधिक वारीसानों का नाम प्रतिस्थापित करें। आगामी दिनांक 18.03.2026 वास्ते अग्रीम कार्यवाही हेतु नियत किया जाता है। लेखापित अवर न्यायाधीश–1 नरकटियागंज	